फैक्स / मेल

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग उत्तराखण्ड।

PWD Uttarakhand

Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-mail: cepwdua@rediff.com Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

पत्रांक 1805/162 स्थ0-सा0/14 देहरादून, दिनांक 15 नवम्बर, 2014

सेवा में,

समस्त मुख्य अभियन्ता (सिविल / रा0मा0 / ए0डी0बी0 / वर्ल्ड बैंक),
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून / पौड़ी / अल्मोड़ा / हल्द्वानी।

विषय :– **विभाग में संविदा पर कार्यरत कनिष्ठ अभियन्ताओं तथा अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में।**

उपर्युक्त विषयक में समय–समय पर अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में फील्ड अधिकारियों द्वारा लाया जा रहा है कि विभाग में तैनात कनिष्ठ अभियन्ताओं (संविदा) को विभागीय कार्य पद्धति एवं विशिष्टियों तथा सर्कुलर की जानकारी न होने के अभाव में शासकीय दायित्वों का निर्वहन लगन से नहीं कर पा रहे हैं, जिससे भविष्य में विभागीय कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव एवं गुणवत्ता प्रभावित होना अवश्याम्भावी है। विभागीय निर्माण कार्यों का सम्पादन कराये जाने में कनिष्ठ अभियन्ताओं की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यदि इनके स्तर पर ही कार्यों का सम्पादन मानक एवं विशिष्टियों के आधार पर नहीं होता है तो निर्मित किये जा रहे कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ेगा।

अतः लोक निर्माण विभाग की कार्य संस्कृति को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाये जाने हेतु प्रत्येक स्तर पर प्रयास किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु निम्नलिखित आदेश पारित किये जाते है :–

1. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा क्षेत्रीय स्तर पर कनिष्ठ अभियन्ताओं को विभागीय कार्यप्रणाली, नवीनतम परिपत्र / विशिष्टियों से अवगत कराये जाने हेतु प्रशिक्षण का आयोजन किया जाय ताकि विभागीय नियमों, परिपत्रों, विशिष्टियों आदि की जानकारी संविदा पर नियुक्त कनिष्ठ अभियन्ताओं को प्राप्त हो सके। तद्परान्त भी यदि कनिष्ठ अभियन्ता (संविदा) द्वारा अपने दायित्वों / कार्य प्रणाली में अपेक्षित सुधार नहीं किया जाता है और यह सुनिश्चित हो जाता है कि सम्बन्धित कार्मिक द्वारा शासकीय दायित्वों का निर्वहन किये जाने में अपेक्षित रूचि नहीं ली जा रही है तो संविदा की शर्तों के अनुसार सम्बन्धित कनिष्ठ अभियन्ता को सेवा से हटाये जाने पर भी विचार किया जा सकता है। तकनीकी सम्बन्धी नियमों का प्रशिक्षण / जानकारी मुख्य / अधीक्षण / अधिशासी / वरिष्ठ सहायक अभियन्ताओं द्वारा प्रदान किया जायेगा तथा लेखा सम्बन्धी ज्ञान सम्बन्धित लेखाधिकारियों द्वारा दिया जायेगा। अतः प्रशिक्षण का आयोजन क्षेत्रीय स्तर पर समय–समय पर किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
2. मुख्य अभियन्ता / अधीक्षण अभियन्ता द्वारा कार्यों का निरीक्षण किये जाने पर माह में एक बार सहायक / कनिष्ठ अभियन्ताओं के साथ एक बैठक अवश्य करा ली जाय ताकि उच्चाधिकारियों का अधीनस्थ कार्मिकों के साथ सीधा संवाद सामूहिक तौर पर हो सके तथा शासकीय कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी एवं अन्य समस्याओं हेतु आपसी सम्पर्क बना रहे।
3. इस कार्यालय के पत्र संख्या 1354 / 09सा0प्र0 / 2014 दिनांक 13.09.2014 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा पूर्व ही निम्नलिखित 03 बिन्दुओं पर निर्देश दिये गये थे। इसकी अनुपालन आख्या इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित की जाय।

Scanned by CamScanner

(क) प्रत्येक विभागीय वाहन में टैस्ट किट का रखा जाना अनिवार्य कर दिया गया है तद्नुसार जारी निरीक्षण टिप्पणी में भी Test Kit का उल्लेख किया जाय।

(ख) प्रत्येक अभियन्ता यदि आई0आर0सी0 का सदस्य हो तो उचित रहेगा, ताकि समय–समय पर प्रकाशित होने वाले जरनल्स तथा पब्लिकेशन्स् के सम्बन्ध में जानकारी मिलती रहे इससे नवीनतम विशिष्टियों, सामग्रियों तथा तकनीकी के सम्बन्ध में जानकारी मिलती रहती है।

(ग) वर्तमान में नवीनतम तकनीक के अनुसार नये इनोवेटिव/वेस्टेज मैटीरियल का प्रचलन काफी है तथा मार्ग विशेषज्ञो द्वारा इनके प्रयोग की पैरवी की जा रही है। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा भी निम्न सामग्री के प्रयोग किये जाने हेतु संस्तुति दी गयी है। बशर्ते यह इकोनोमिकल हो। कुछ सामग्रियों के नाम निम्नवत् है इनका तकनीकी/वित्तीय एवं व्यवहारिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए ट्रायल के आधार पर किया जाय। अतः तद्नुसार इनके लोक निर्माण विभाग में सर्वप्रथम राज्य/मुख्य जिला मार्गों पर भी 500 मी0 से 1.00 किमी0 लम्बाई Pilot बेसेज पर अध्ययन किया जाय तथा अन्वेषण के रूप में इनके परिणाम देखे जाय ताकि भविष्य में इनकी उपयोगिता पर आगे विचार किया जा सके। परिणाम तथा उपयोगिता इस कार्यालय को मय फोटोग्राफ्स के भेजे जाय। यह भी उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में इन्टरनेट/आई0आर0सी0 प्रकाशनों से भी इस सम्बन्ध में जानकारी ली जा सकती है।

1. Geocells.
2. Warm Mix Asphalt Technology.
3. Water Proofing Membranes.
4. Non-woven, Woven Geotextiles & Techglass.
5. Jarofix.
6. Thiopave – Asphalt Modifier.
7. Intrared Recycling Pothole Repair System.
8. Water Proofing for Bridge deck and pavements.
9. Copper slag.
10. Processed Steel Slag Aggregates.
11. Roadstab Technology.
12. Evercrete Deep Penetrating Sealer.
13. RBI Grade – 81.
14. Tenax 3D Grids and
15. Roadcem.

कृपया उक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन आख्या से भी इस कार्यालय को अवगत कराया जाय।

संलग्न–यथोपरि।

(एच0के0 उप्रेती)
प्रमुख अभियन्ता 13.11.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को संलग्नकों की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. मुख्य अभियन्ता स्तर–I (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय।
3. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
4. समस्त अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।

संलग्न–यथोपरि।

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग।

Scanned by CamScanner